निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

——— xx ——— xx ———

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 210/2013 वाद (2013/00698)

उनवान

शोभालाल पिता रामचन्द्र भोई निवासी भोईखेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— वादी

बनाम

1- नारायण पिता स्व० चतरभुज गुर्जर निवासी नाडोलिया चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2- उदयलाल पिता स्व० चतरभुज गुर्जर निवासी नाडोलिया, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

3- भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 53-88-188 RTA

उपस्थिति : श्री गोविन्दवल्लभ त्रिपाठी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 20/01/2022

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188 राज० काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 से ग्राम चित्तौड़गढ़ मे गम्भीरी नदी के किनारे स्थित खसरा नम्बर 497 रकबा एक बीघा एक बिस्वा एवं आराजी नम्बर 490 रकबा 1 बिस्वा

---- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कुल कीता 2 रकबा डेढ बीघा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से तादादी 13500.00 रुपये मे दिनांक 12-12-1983 को क्रय कर, भौतिक रूप से कब्जा प्रतिवादीगण से प्राप्त किया। विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 1167 दिनांक 03.11.1984 से उक्त क्रय की गई भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई। सेटलमेंट सम्वत 2036 मे भू प्रबन्ध के दौरान वादी की साबिक आ. नं. 497/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के नए नम्बर 1115 रकबा 0.25 हे. तथा आ. नं. 489 रकबा 13 बिस्वा वादी की आराजी नम्बर 490 रकबा 9 बिस्वा दोनों को मिलाते हुए नया आराजी नम्बर 1121 रकबा 0.22 हे. दर्ज कर उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट वालों को पुरानी एन्ट्री के आधार पर नये नम्बर की एन्ट्री करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने वादी की क्रय शुदा आ. नं. 490 मे प्रतिवादी की आराजी नम्बर 489 का रकबा 13 बिस्वा को मिलाते हुए नए नम्बर 1121 रकबा 0.22 हे. दर्ज कर दिया, तथा वादी की दोनो क्रय की गई आराजीयात पुनः प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। इसके पश्चात प्रतिवादी सं. 1, 2 ने अपने संयुक्त खातेदारी मे दर्ज नवीन आराजीयात का आपसी बंटवाडा करा लिया, जिससे वादी की क्रयशुदा आ. नं. 497/1 के नवीन नम्बर 1115 रकबा 0.25 हे. प्रतिवादी संख्या 2 के बटवारे मे दे दी तथा साबिक आ. नं. 490 रकबा 9 बिस्वा का रकबा नवीन आराजी नं. 1121 मे मिलाते हुए रकबा 0.22 हे. प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे अलग-अलग दर्ज हो गयी। जिससे प्रतिवादी संख्या एक के खाते मे दर्ज आराजी 1121 रकबा 0.22 हे. मे से वादी का रकबा एवं आराजी नम्बर 1115 [illegible] प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादी का [illegible] रकबा का वादी को खातेदार घोषित किया [illegible] होने से घोषणा का वाद प्रस्तुत किया [illegible] संख्या 1, 2 के नाम

---- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर न्यायालय जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दर्ज होने से ये आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय बख्शीश नहीं करे, वादी के कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1,2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होने से घोषणा के साथ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है।

वाद कारण दिनांक 04-06-13 को प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त दोनो आराजीयात से बेदखल करने एवं विक्रय करने की धमकी देने से पैदा होना बता कर ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1115 रकबा 0.25 हे. तथा आ. नं. 1121 मे से वादी का रकबा 9 बिस्वा अनुपात नवीन रकबा वादी की खातेदारी का घोषित किया जाकर से इन आराजी से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादी के खातेदारी की दर्ज करने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से दिनांक 03/12/2016 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का खण्डन नहीं होने से, प्रकरण में तनकियात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

वादी ने अपने कथन की पुष्टि मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068-2071 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, नक्शा ट्रेस नकल प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032-35 प्रदर्श 4, नकल मिलान पैमायश प्रदर्श 5, मिलान खसरा पत्रक प्रदर्श 6, नकल ना० संख्या 1167 प्रदर्श 7 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029-32 प्रदर्श 8, विक्रय पत्र एवं आधार वर्ष की जमाबन्दी [illegible] 10 को वादी ने अपना स्वयं का शपथ [illegible] प्रदर्शित कराये। चौसठ सुनवाई विवादित [illegible] स्थिति की जांच कमिश्नर से कराई जाकर रिपोर्ट तलब की गई। वाद

--- लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पत्र पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस में वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा वाद पत्र का प्रमाणित होना तथा कमिश्नर रिपोर्ट से वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि होना बता कर वादी का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन / अध्ययन कर अधिवक्ता वादी की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रदर्श 10 के अवलोकन से वादी द्वारा ग्राम चित्तौड़गढ़ की साबिक आ. नं. 497 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा तथा आ. नं. 490 रकबा 9 बिस्वा क्रय करना प्रमाणित होता है, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032-35 प्रदर्श 4 अनुसार आ. नं. 497/1, 490 विरासत से ना. क. संख्या 1164 से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई, एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विक्रय करने से जरिए नामा० संख्या 1167 प्रदर्श 7 से विक्रय के आधार पर वादी के नाम दर्ज होना पाया जाता है। नकल मिलान खसरा प्रदर्श 5 अनुसार साबिक आराजी नम्बर 497/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के नवीन नम्बर 1115 रकबा 0.25 हे. बनना पाया जाता है तथा मिलान खसरा पत्रक प्रदर्श 6 के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 1121 रकबा 0.22 हे० साबिक आ. नं. 489 रकबा 13 बिस्वा तथा 490 रकबा 9 बिस्वा को मिला कर बना दिया गया है, जबकि आ. नं. 490 रकबा 9 बिस्वा पृथक नम्बर था, जिसे अलग बनाया जाना था।

प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 10 आधार वर्ष की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052 अनुसार आ. नं. 1115 एवं 1121 प्रतिवादी संख्या 1,2 के [illegible] जाता है। कमिश्नर रिपोर्ट से भी [illegible] होती है, तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन से [illegible] की अन्य आराजीयात

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

के साथ - साथ उक्त विवादित आराजीयात की भी तिजारत हो जाने से आ.नं. 1115 प्रतिवादी सं. 2 के नाम एवं आराजी नम्बर 1121 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से वाद पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 नारायण का वक्त कमिश्नर रिपोर्ट मौका पर उपस्थित रहना पाया जाता है, जिससे प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण को वादी के कथन से किसी प्रकार का एतराज नहीं होकर मौन सहमति होना पाया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वाद पत्र प्रमाणित पाया जाता है। भू-प्रबन्ध अधिकारियों को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के रेकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी अपने द्वारा क्रय की गयी आराजीयात को ~~[illegible]~~ नवीन नम्बर अनुसार - क्रय किया गया रकबा साबिक आ.नं. 491 रकबा 1 बिघा 1 बिस्वा एवं आ.नं. 490 रकबा 9 बिस्वा - कुल 1 बीघा 10 बिस्वा अनुसार नवीन नम्बर 1115 रकबा 0.25 है. एवं 1121 रकबा 0.22 हे. में से 0.07 हे. कुल 0.32 हे० भूमि अपनी खातेदारी की घोषित कराने का अधिकारी पाया जाता है।

अतः वादी का वाद पत्र बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम चित्तौड़गढ़ की आ.नं. 1115 रकबा 0.25 हे. तथा आ.नं. 1121 रकबा 0.22 हे. में से 0.07 हे. कमिश्नर रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार कुल रकबा 0.32 हे. का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। आ.नं. 1115 रकबा 0.25 हे. प्रतिवादी उदयलाल पिता चतरभुज के खाते से एवं 1121 रकबा 0.22 [illegible] नारायण पिता चतरभुज के खाते से कमिश्नर रिपोर्ट [illegible] नक्शे अनुसार कम करके, वादी के खाते [illegible] में दर्ज [illegible] जाने का डिक्री किया जाता है। कमिश्नर रिपोर्ट [illegible] इस डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.शोभालाल पिता रामचन्द्र भोई नि.भोईखेडा तह.व जिला चित्तौडगढ़

–वादी

बनाम

1.नारायण पिता स्व.चतरभुज गुर्जर नि.नाडोलिया चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़
2.उदयलाल पिता स्व.चतरभुज गुर्जर नि.नाडोलिया चित्तौडगढ़ तह.व जिला चित्तौडगढ़
3.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ़

–प्रतिवादीगण

प्र.स. 210/2013 (GCMS 2013/00698)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 53–88–188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री गोविन्द वल्लभ त्रिपाठी की, और प्रतिवादी की ओर से वकील – की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम चित्तौडगढ़ की आ.नं. 1115 रकबा 0.25 हे. तथा आ.न. 1121 रकबा 0.22 हे. मे से 0.07 हे. कमिश्नर रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार कुल रकबा 0.32 हे. का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। आ.नं. 1115 रकबा 0.25 हे. प्रतिवादी उदयलाल पिता चतरभुज के खाते से एंव 1121 रकबा 0.22 हे. मे 0.07 हे. प्रतिवादी नारायण पिता चतरभुज के खाते से कमिश्नर रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार कम करके, वादी के खातेदारी मे दर्ज किया जाने का डिक्री किया जाता है। कमिश्नर रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेश डिक्री का पार्ट रहेगा।

इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 20.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:09 IST
Reason: SelfAttested

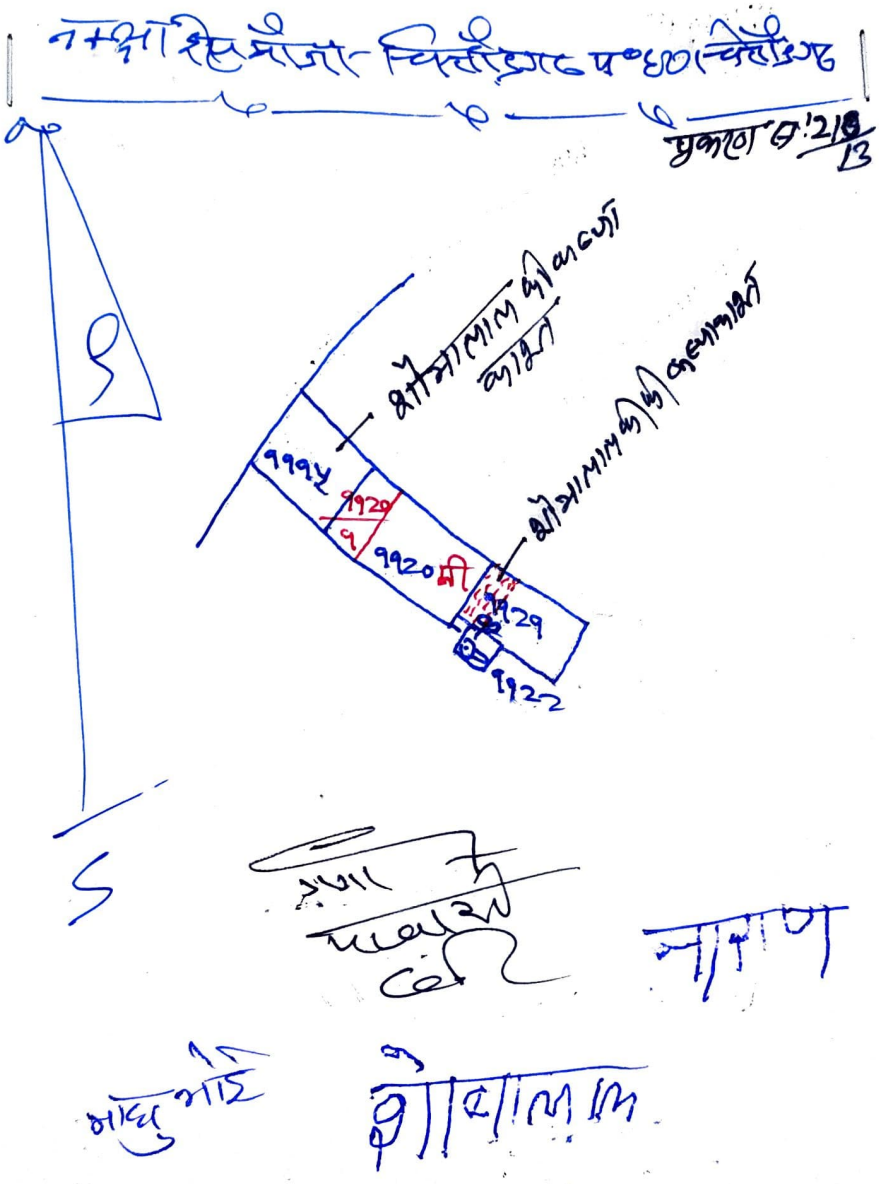

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.28 17:59:09 IST
Reason: SelfAttested